राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 743/2014/जयपुर

मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड,
जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर,विशेष वृत–राजस्थान,जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.06.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 294/अ.प्रा. –।।/सीएसटी/जयपुर/2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा आलोच्य वर्ष 2011–12 की अवधि में रू. 4,85,17,333/–के एफ फार्म्स प्रस्तुत नहीं करने के कारण सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,विशेष वृत–राजस्थान,जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.12.2013 पारित कर उक्त राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रू.72,77,599/–आरोपित किया एवं उक्त अन्तर कर को अदेय मानकर उस पर ब्याज रू.21,10,503/–आरोपित किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रू. 4,73,334/– के विक्रय के समर्थन में सी फार्म पेश नहीं करने के कारण पर 13 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रू. 61,533/–आरोपित किया तथा उक्त कर को अदेय मानते हुए उस पर ब्याज रू. 17,845/–आरोपित किया। उक्त प्रकार से आरोपित कर एवं ब्याज से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उक्त घोषणा पत्र एफ एवं सी प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए उक्त घोषणा पत्र एफ एवं सी दिनांक 30.04.2014 तक पेश करने के लिए अपीलार्थी को निर्देश देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2014 पारित किया । उक्त प्रतिप्रेषण आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही मांग सृजित की गई है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि घोषणा पत्र एफ एवं सी प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है अतः घोषणा पत्र एफ एवं सी पेश करने हेतु समय प्रदान करने का निवदन किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्व में ही घोषणा पत्र एफ एवं सी प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जा चुका है और उसकी ओर से पूर्व में दिये गये समय पर कोई एफ व सी फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये है इसलिए अब और घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घोषणा पत्र 'एफ' व 'सी' के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी व्यवहारी को घोषणा पत्र 'एफ' व 'सी' प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.04.2014 तक का समय प्रदान किया गया था किन्तु उक्त अवधि तक अपीलार्थी घोषणा पत्र एकत्रित नहीं कर पाया है। अतः प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में घोषणा पत्र 'एफ' व 'सी' प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी व्यवहारी को घोषणा पत्र 'एफ' व 'सी' प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.07.2017 तक का समय प्रदान किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी व्यवहारी उक्त तिथि तक घोषणा पत्र 'एफ' व 'सी' प्रस्तुत कर देता है तो उनकी जांच कर तदनुसार आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष